न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

151 CPC

पुष्की 3-6 आयुषी V/S मांगीलाल

प्र.स. 58/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
8/5/24	वकुलाय पक्षकार उपस्थित इस आदेश के जरिये अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखकर राजीनामे के जरीये निस्तारित मूल वाद के निर्णय व डिग्री के प्रभाव एवं पालना को एक पक्षीय रूप से स्थगित करवा दिया गया है न्यायालय ने भी कानून से परे जाकर एक पक्षीय स्थगन प्रदान करने में कानूनी भूल की है न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के बहकावे में एवं प्रलोबन में आकर कानून से परे जाकर स्थगन आदेश पारित किया है। हलका पटवारी द्वारा जारकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वकालातनामा प्रस्तुत कर मूल प्रार्थना पत्र की नकल की मांग की गई किन्तु प्रार्थी पक्ष द्वांरा आज दिन तक उपलब्ध न ही करवाई गई है नकल उपलब्ध करवाने बाबत् न्यायालय द्वारा कोई कठोर आदेश भी पारित किया गया है जिससे यह सिद्व है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को विधि विरूद्व संरक्षण दिया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानो की पालना नही की गई है जिस कारण आदेश 7 नियम 9 सीपीसी के तहत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही हो रहे है जिस कारण आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत् भी मूल प्रार्थना पत्रो निरस्त योग्य है। किन्तु न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को विधि विरूद्व संरक्षण देते हुए उनके विरूद्व किसी प्रकार	

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

का कोई आदेश पारित नही किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के उपरोक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थीनी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीनी द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे न्यायालय द्वारा विधि अनुसार स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। मूल वाद संख्या 76/2023 के पक्षकारान द्वारा षडयन्त्र पूर्वक राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निर्णय व डिग्री पारित करवाई है जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है उक्त वाद में भी प्रार्थीनी द्वारा पक्षकार के रूप में सयोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था जिसका निस्तारण भी नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा की गरिमा के विरूद्व अभिगथन किये है। अप्रार्थीगण येनकेन प्रकार से प्रार्थीनी को कानूनी प्रक्रिया में उलझाना चाहते है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के सर्मथन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी प्रार्थना पत्र की मांग नही की गई किन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थीनी द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी को प्रतिलिपि धामी भी गई किन्तु उनके द्वारा प्राप्त नही करने पर अतिरिक्त प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। आदेश 7 नियम 9 तथा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के प्रावधान मौजूदा प्रकरण में लागू ही नही होते है। लिपिक त्रुटीवश अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करने में सदभावी त्रुटी अवश्य हुई है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की इच्छा माफीक आदेश पारित नही किये जाने बदनियती पूर्वक मोजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के गुणागुण पर निस्तारण किये जाने के संबधं में किसी प्रकार के कोई अनुतोष की मांग नही की गई है जिस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(देहात) जयपुर

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिवक्तागण ने अपने अभिकथनो की पुनरावृत्ती करते हुए अभिकथनो के अनुरूप अनुतोष की मांग की गई। मूल रूप से अप्रार्थी संख्या 3 से 6 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी पक्ष की ओर से मूल प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध नही करवाये जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण हेतु मूल प्रार्थना पत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा चुकी है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण हाजा में दिनांक 12.02.2024 को उपस्थित होने के उपरांत भी प्रतिलिपि प्राप्त नही की गई है जिसका दोष प्रार्थी पक्ष पर नही डाला जा सकता है। प्रकरण के गुणागुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 01 राधाकिशन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र की पोषणीयता को प्रश्नगत करते हुए कथन किया है कि सर्वप्रथम न्यायालय हाजा को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीनी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र ही पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की आपत्ति बाबत सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी 01 का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि न्यायालय हाजा को स्वयं द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के प्रभाव एवं पालना को स्थगित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो। इस संबंध में आदेश 41 नियम 5 (2) दीवानी प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है –

"जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्वारा रोका जाना– जहाँ किसी अपीलनीय डिक्री के निष्पादन के रोके जाने के लिए आवेदन उस समय के अवसान से पूर्व जो उसकी अपील करने के लिए अनुज्ञात है, किया जाता है वहा डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर दे सकेगा।"

दीवानी प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा को स्वयं द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के निष्पादन को रोके जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु उक्त आवेदन पत्र प्रभावित पक्षकार को साम्यिक अनुतोष प्रदान करने के आशय से है जिसके तहत न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने हेतु विहित समयावधि तक के लिए स्वयं द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव एवं पालना को स्थगित किये जाने का अधिकार है। स्वीकृत रूप से न्यायालय द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2023 बअनवान राधाकिशन बनाम मांगीलाल वगैरा का निस्तारण दिनांक 06.10.2023 को किया गया था। जिस निर्णय व डिक्री की प्रभाव एवं पालना को स्थगित करने हेतु प्रार्थीनी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10.11.2023 को न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये गये निर्णय व डिक्री की अपील हेतु विहित समयावधि पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे अब आदेश 41 नियम 5 (2) दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का लाभ प्राप्त करने की प्रार्थीनी अधिकारीणी नही रह जाती है एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र भी सारहीन हो जाता है जिस कारण प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9/5/24

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर